कार्यालय आयुक्त,उच्च शिक्षा मध्य प्रदेश शासन
सतपुड़ा भवन, भोपाल – 462004

भोपाल, दिनांक 5.9.17

::आदेश::

क्रमांक एफ-2074/322/आउश/शा.2/2017 : सत्र 2017–18 में शासकीय महाविद्यालयों में रिक्त पदों के विरूद्ध अतिथि विद्वानों की व्यवस्था के लिये आवेदन आमंत्रित किये गये थे। प्राप्त आवेदन पत्रों में से गुणानुक्रम तथा दिये गये विकल्पो के आधार पर संलग्न गुणानुक्रम/आवंटन सूची विषयवार प्रकाशित की जाती है। इस सम्बंध में निर्देशित किया जाता है कि :–

1. आवंटन प्राप्त अभ्यर्थी को संबंधित महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा सचिव जनभागीदारी समिति की हैसियत से नियमानुसार आमंत्रण पत्र जारी करेंगे एवं अपलोडेड दस्तावेज से सत्यापन उपरांत कार्यभार ग्रहण करायेंगे। आमंत्रण पत्र में यह स्पष्ट रूप से उल्लेखित किया जाए कि उक्त आमंत्रण माननीय उच्च न्यायालय में दायर की गई याचिकाओं के निर्णयों/आदेशो के अध्यधीन रहेगा।
2. यदि महाविद्यालय में माननीय उच्च न्यायालय के आदेश से कोई अतिथि विद्वान कार्यरत है तो उन्हें आगामी व्यवस्था तक कार्यरत रहने दिया जाये एवं ऐसे अतिथि विद्वानों की विषयवार सूची ईमेल से राजपत्रित शाखा पर 02 दिवस में उपलब्ध करावे, ताकि इनके लिये कोई वैकल्पिक व्यवस्था बनाई जा सके।
3. यदि कोई आवेदनकर्ता पूर्व से माननीय उच्च न्यायालय के आदेश से कार्यरत है एवं गुणानुक्रम सूची अनुसार भी उसे आवंटन प्राप्त है, ऐसी स्थिति में भी गुणानुक्रम/आवंटन सूची अनुसार आवंटन जारी किया जाये।
4. आमंत्रित अतिथि विद्वान अपने आमंत्रण–पत्र, प्रथम चरण हेतु दिनांक 05 सितम्बर से 09 सितम्बर, 2017 सांय 05:00 बजे तक पूर्व आवंटित महाविद्यालय में उपस्थित होंगे। महाविद्यालय में दस्तावेजो का पुनः सत्यापन किया जावे।
5. आमंत्रित अतिथि विद्वान द्वारा प्रस्तुत आमंत्रण–पत्र की तीन प्रतियों को, सत्यापन पश्चात् प्राचार्य, महाविद्यालय जनभागीदारी समिति के सचिव की ओर से हस्ताक्षर कर जावक क्रमांक देते हुए, एक प्रति अतिथि विद्वान को, दूसरी प्रति संबंधित क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक को तथा तीसरी प्रति कार्यालयीन अभिलेख के रूप में संधारित करेंगे।
6. प्राचार्य, यह सुनिश्चित करे कि संबंधित विषय में स्वीकृत रिक्त पद एवं कार्यभार के विरूद्ध ही अतिथि विद्वान को आमंत्रित किया जावें।
7. उपरोक्तानुसार कार्यवाही कर आमंत्रित अतिथि विद्वान की जानकारी उच्च शिक्षा विभाग के वेबसाईट www.highereducation.mp.gov.in में शासकीय महाविद्यालय स्तर से पूर्व में उपलब्ध कराये गये लॉगिन/पासवर्ड के माध्यम से ऑनलाईन अतिथि विद्वानों के आमंत्रण की स्वीकृति आवश्यक रूप से प्रविष्ट दर्ज किया जाना सुनिश्चित करें। प्रथम चरण हेतु ऑनलाईन Reporting करने की अंतिम तिथि 09 सितम्बर, 2017 तक है।
8. जहॉ कहीं अतिथि विद्वानों को लेकर माननीय उच्च न्यायालय का कोई आदेश है उसका पालन किया जावे।

शेष आगामी कार्यवाहियों का कैलेण्डर पृथक से प्रकाशित किया जावेगा।
(अपर मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा द्वारा अनुमोदित)

(डॉ. जगदीश चन्द्र जटिया)
अपर संचालक (प्रशासन)
उच्च शिक्षा, म.प्र.

क्रमांक– 2075 / 322 / आउशि / शा–2 / 17 भोपाल दिनांक 5.9.17

प्रतिलिपि :–

1. निज सहायक, माननीय मंत्रीजी, उच्च शिक्षा।
2. निज सहायक, अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा, भोपाल।
3. निज सहायक, आयुक्त, उच्च शिक्षा, सतपुड़ा भवन, भोपाल।
4. समस्त क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग।
5. समस्त प्राचार्य, शासकीय महाविद्यालय, मध्यप्रदेश।
6. श्री सुनील जैन, वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, राष्ट्रीय विज्ञान सूचना केन्द्र, विन्ध्याचल भवन, भोपाल।
7. आई.टी. प्रभारी, उच्च शिक्षा संचालनालय, सतपुड़ा भवन, भोपाल की ओर वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।

अपर संचालक (प्रशासन)
उच्च शिक्षा, म.प्र.